FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पु[illegible]सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी लापोद तहसील सुमेरपुर		स्व0 हंसीया वल्द सवा जाति लुहार के का0मु0 बदामीदेवी पुत्री हंसीया वगैरा कुल 5 पक्षकार

अपील संख्या 36 /2018

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2018	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का जो रेकर्ड पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है, उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 में पारित किया है, जिसकी अपील के श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। तदनुसार अपीलाण्ट की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ लौटाई जाती है। पत्रावली इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	मूल पत्रावली प्राप्त की 13/12/2018